

## यूनियन बजट 2017-18 : एक मूल्यांकन\*

वैश्विक स्तर पर अनिश्चित आर्थिक और राजनैतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए इस लेख में यूनियन बजट 2017-18 की प्रमुख बातों का विश्लेषण किया गया है, किंतु प्रमुख नीतिगत उपाय घरेलू स्तर पर किए गए। 'परिवर्तित, ऊर्जावान और स्वच्छ (टीईसी) भारत' बनाने के उद्देश्य के चलते संवृद्धि को बढ़ाने हेतु राजकोषीय विवेक और आर्थिक सुधारों के समग्र फ्रेमवर्क के भीतर गरीब लोगों और सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए होने वाले व्यय में बढ़ोतरी होगी।

### यूनियन बजट 2017-18 : प्रमुख बातें

- कर-संग्रह और गैर-कर राजस्व में वृद्धि के जरिए प्राप्त किए जाने वाले प्रमुख घाटा संकेतकों के संबंध में 2016-17 के केंद्र सरकार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 2017-18 के बजट में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और राजस्व घाटा (आरडी) को कम किया गया है जो कि राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथापि, 3.0 प्रतिशत का जीएफडी-जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का लक्ष्य 2017-18 से आस्थगित करके 2018-19 कर दिया गया है।

- प्राप्तियों के पक्ष पर, सकल कर राजस्व आयकर संग्रह में अत्यधिक बढ़ोतरी होने से प्रेरित रहने की संभावना है जबकि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि कम होगी।
- 2016-17 में लगभग 20 प्रतिशत की कमी होने के बावजूद 2017-18 में विनिवेश प्राप्तियों में वृद्धि होने की संभावना है।
- राजस्व व्यय को बजट में तेजी से कम किया गया है ताकि पूंजीगत व्यय की स्थिर गति को बनाए रखा जा सके, जबकि योजनागत और गैर योजनागत के बीच व्यय वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।
- समग्र रूप से, जहां, बजट किसानों और ग्रामीण क्षेत्र पर अति केंद्रित है, साथ ही, खपत मांग को बढ़ावा देने के लिए विमुद्रीकरण के बाद सर्वाधिक प्रभावित आवास, लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) और कृषि क्षेत्र के लिए लक्ष्यित नीति तैयार की गई हैं, वहीं बुनियादी संरचना पर अधिक व्यय करने को प्रोत्साहित किया गया है ताकि वृद्धि की गति सुदृढ़ हो सके।

बजट में प्रस्तावित प्रमुख नीतिगत पहल के बारे में बॉक्स 1 में उल्लेख किया गया है।

### बॉक्स 1 : यूनियन बजट 2017-18 - प्रमुख पहल

बजट में सामंजस्य गतिविधि रणनीति के घटक घोषित किए गए हैं। ये सभी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पथ विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें विस्तृत रूप से तीन वर्गों में बांटा जा सकता है।

#### I. राजकोषीय अनुशासन

पहली बार, सभी मंत्रालयों और विभागों को मिलाकर एक समेकित परिणामी बजट अन्य बजट दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2017-18 के लिए सकल राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रखा गया और अगले वर्ष के लिए यह लक्ष्य 3 प्रतिशत रखा गया। वर्ष 2017-18 के लिए राजस्व घाटा एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार अनिवार्य 2.0 प्रतिशत से कम करके 1.9 प्रतिशत किया गया। माल और सेवा कर (जीएसटी) के सहज कार्यान्वयन के लिए गहन उपायों की योजना बनाई गई है।

#### II. वित्तीय क्षेत्र सुधार

बजट में वित्तीय क्षेत्र सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) 'इंद्रधनुष योजना' के अनुरूप बैंकों के पुनःपूँजीकरण के लिए ₹100 बिलियन का आबंटन; (ii) रेलवे के सरकारी क्षेत्र के उद्यम जैसे - इंडियन रेलवे क्रेटिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी), भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) और भारतीय रेलवे विनिर्माण कंपनी (ईर्कन) के शेयरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करना ; (iii) शेयर बाजार में चिह्नित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को समयबद्ध तरीके से सूचीबद्ध करने को सुनिश्चित करने के लिए संशोधित प्रणाली और प्रक्रिया; (iv) वित्तीय क्षेत्र की सत्यनिष्ठा और स्थिरता को सुरक्षा प्रदान करने हेतु वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कंप्यूटर इमरजेंसी प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-फिन) का गठन करना; (v) वित्तीय फर्मों के समाधान से संबंधित विधेयक वित्तीय प्रणाली

(जारी...)

\* राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक में तैयार किया गया। यूनियन बजट 2016-17 से संबंधित पिछला लेख भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन मई 2016 में प्रकाशित किया गया था।

की स्थिरता और आघात-सहनीयता में योगदान देने के लिए प्रस्तुत किया जाना है; (vi) अवैध जमाराशियों से संबंधित योजनाओं की बुराई को समाप्त करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा ताकि अनैतिक संस्थाओं से गरीब लोगों को सुरक्षित किया जा सके और; (vii) कतिपय अपवादों को छोड़कर ₹3 लाख से अधिक का नगदी लेनदेन करने की अनुमति नहीं।

### III. संरचनागत सुधार


प्रमुख संरचनागत सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं: बेहतर कीमत प्राप्ति और फसल कटने के बाद होने वाले नुकसान में कमी करने हेतु राज्यों के लिए संविदा खेती से संबंधित एक मॉडल कानून तैयार करना; (ii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में डेयरी संसाधन और बुनियादी संरचना विकास निधि की स्थापना करना ताकि पर्याप्त दुग्ध संसाधन इन्फ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित किया जा सके; (iii) महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत आबंटन को बढ़ाना और किसानों की आय दोहरी करने में सहयोग प्रदान के लिए इस योजना को उन्मुख करना; (iv) 2017-18 में राष्ट्रीय आवास बैंक को वैयक्तिक आवास ऋण को

पुनर्वित्त देने के लिए लगभग ₹20,000 करोड़ ताकि वहनीय आवास में अधिक निवेश हो सके; (v) औषधि और कासमैटिक नियमों में संशोधन ताकि संगत मूल्य पर औषधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके; (vi) विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को समाप्त करना और एफडीआई नीति को और अधिक उदार बनाना; (vii) ब्यापार इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्यात योजना (टीआईईएस) नाम से एक नई और पुनर्संचित केंद्रीय योजना प्रारंभ करना; (viii) भारतीय विमानपतन प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करना ताकि भू-आस्तियों का प्रभावी मुद्रिकरण किया जा सके; (ix) मौजूदा भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक में भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन करना; और (x) न्यायाधिकरण की संख्या को संगत बनाना और जहां भी उचित हो, वहां, न्यायाधिकरणों का विलय करना। अन्य सुधार उपाय जिसमें किसी राजनैतिक दल को एक व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले चंदे को सीमितकर अधिकतम ₹2000 का नकदी अभिदान करने की अनुमति और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन ताकि भारत सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली योजना के अनुसार इलेक्टोरल बांड जारी किया जा सके।

### I. 2016-17 में राजकोषीय निष्पादन (संशोधित अनुमान)

हाल का राजकोषीय समेकन का चरण, जो 2012-13 से प्रारंभ हुआ था, जारी रहने के कारण केंद्रीय वित्त में वृद्धि हुई। जीडीपी का 2.0 प्रतिशत राजस्व घाटा बजट में निर्धारित 2.3 प्रतिशत से कम था जबकि 2016-17 के बजट में जीएफडी 3.5 प्रतिशत रहा था (चार्ट 1)।

2016-17 के लिए राजकोषीय रणनीति मुख्यतः सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी-VII) और समान पद समान पेंशन (ओआरओपी) के कार्यान्वयन से संबंधित अतिरिक्त व्यय प्रतिबद्धता को सहज रूप से वित्त के लिए कर में वृद्धि और गैर कर में अंतर्वाह के चलते राजस्व-प्रेरित थी। वस्तुतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों (राज्यों को अंतरित निवल राशि) से



प्राप्त कुल राजस्व बजट अनुमान से काफी अधिक रहा था। जहां, प्रत्यक्ष राजस्व आय घोषणा योजना (आईडीएस) के अंतर्गत संग्रहित किए गए लगभग ₹674 बिलियन के कारण बढ़ गया था, वहीं अप्रत्यक्ष करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क (34.5 प्रतिशत) और सेवा करों (17.1 प्रतिशत) में दर्ज संग्रह राशि के संदर्भ में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व बजट में निर्धारित लक्ष्य से 21.6 प्रतिशत अधिक था जो स्वच्छ वातावरण उपकर, कतिपय मोटर वाहनों पर लगाया गया इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकर, ज्वैलरी पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में हुई वृद्धि, 1 जून 2016 से सेवाओं पर लगाया गया कृषि कल्याण उपकर और नकारात्मक सूची की छंटनी से सेवा कर संग्रह में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाता है।

निम्नलिखित अर्थात् (i) संचार सेवाओं से प्राप्त निवल प्राप्तियां (बीई में ₹990 बिलियन की तुलना में ₹787 बिलियन) क्योंकि उच्च मूल्य वाले बांडों की बिक्री नहीं हुई थी (ii) विनिवेश से प्राप्त आय में कमी के बावजूद गैर-कर राजस्व लाभांश और लाभ से प्राप्त उच्च प्राप्तियों के कारण बजटीय लक्ष्य से 3.7 प्रतिशत अधिक पाया गया। कुल गैर-ऋण प्राप्तियां बजट में निर्धारित लक्ष्य से 1.8 प्रतिशत अधिक पाई गईं।

पूर्व में उल्लिखित अतिरिक्त व्यय के दबाव के बावजूद राजस्व व्यय सामान्यतः बजट में निर्धारित स्तर पर बना रहा।

पूजी व्यय पिछले वर्ष की 28.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 10.6 अधिक वृद्धि दर्ज करते हुए बीई (13.3 प्रतिशत) से काफी अधिक रहा, जो राजकोषीय समेकन की गुणवत्ता में वहनीय सुधार को दर्शाता है।

## II. 2017-18 के लिए बजट अनुमान

2017-18 में केंद्र के जीएफडी और आरडी को बजट में 0.3 प्रतिशत अंक और 0.1 प्रतिशत अंक क्रमशः घटाकर जीडीपी का 3.2 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत कर दिया गया (विवरण 1)। तथापि, सरकार ने जीएफडी-जीडीपी के 3.0 प्रतिशत के लक्ष्य को एक वर्ष बढ़ाकर अर्थात् 2017-18 से 2018-19<sup>1</sup> कर दिया गया है जो कि हाल ही में एफआरबीएम समीक्षा समिति 2017 (अध्यक्ष: एन. के. सिंह)<sup>2</sup> द्वारा निर्धारित राजकोषीय रोडमैप से भिन्न भी है। प्रभावी राजस्व घाटा (ईआरडी)<sup>3</sup> जीडीपी का 0.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो 2016-17 की तुलना में जीडीपी का 0.2 प्रतिशत अधिक है। राजस्व पक्ष<sup>4</sup> में पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान सहायता राशि देने से संबंधित संरचनागत मुद्दों के चलते ईआरडी को समाप्त करने को स्थगित कर 2019-20 के बाद कर दिया गया था (सारणी 1)।

राजकोषीय संकेतक के लक्ष्यों को गैर-ऋण प्राप्तियों में, विशेष रूप से, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए बजटीय आबंटन को

### सारणी 1: घाटा लक्ष्य - लक्ष्य को बढ़ाना

घाटा संकेतक	लक्ष्य (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)	लक्ष्य-प्राप्ति के लिए वर्ष				
		संशोधित एफआरबीएम अधिनियम/नियम (2013) के अनुसार	संघीय बजट 2014-15	संघीय बजट 2015-16	संघीय बजट 2016-17	संघीय बजट 2017-18
1	2	3	4	5	6	7
राजस्व घाटा	2	2014-15	2015-16	2017-18	2017-18	2017-18
प्रभावी राजस्व घाटा	0	2014-15	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 के बाद स्थगित
सकल राजकोषीय घाटा	3	2016-17	2016-17	2017-18	2017-18	2018-19

<sup>1</sup> वित्त विधेयक 2015 में बनाए गए एफआरबीएम अधिनियम/नियम में किए गए संशोधन के अनुसार 3.0 प्रतिशत के जीएफडी-जीडीपी लक्ष्य को 2017-18 तक प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

<sup>2</sup> समिति ने जीएफडी-जीडीपी अनुपात को 2016-17 के 3.5 प्रतिशत से कम करके 2017-18 में 3.0 प्रतिशत और वर्ष 2022-23 तक 2.5 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है।

<sup>3</sup> प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटा और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए राज्यों को दिए गए अनुदान के बीच का अंतर है।

<sup>4</sup> मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण 2017-18।

## सारणी 2 : केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति

	जीडीपी की तुलना में प्रतिशत			वृद्धि (प्रतिशत)		
	2015-16	2016-17 (आरई)	2017-18 (बीई)	2015-16	2016-17 (आरई)	2017-18 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7
<b>प्राप्तियां</b>						
राजस्व प्राप्तियां	8.7	9.3	9.0	8.5	19.1	6.5
(i) कर राजस्व (निवल)	6.9	7.1	7.3	4.4	15.4	12.7
(ii) गैर कर राजस्व	1.8	2.2	1.7	27.0	33.2	-13.7
गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	0.5	0.4	0.5	22.3	-10.2	49.2
जिसमें से : विनिवेश प्राप्तियां	0.3	0.3	0.4	11.6	8.0	59.3
<b>व्यय</b>						
राजस्व व्यय	11.2	11.4	10.9	4.8	12.8	5.9
पूंजीगत व्यय	1.9	1.8	1.8	28.6	10.6	10.7
कुल व्यय	13.1	13.2	12.7	7.6	12.5	6.6
योजना व्यय	5.3	5.7	5.6	-	20.0	8.6
योजनाओं से इतर व्यय	7.8	7.5	7.1	-	7.4	5.0
<b>जिसमें</b>						
1. व्याज भुगतान	3.2	3.2	3.1	9.7	9.4	8.3
2. सब्सिडी	1.9	1.7	1.6	2.3	-1.4	4.5

नोट : आंकड़े उपलब्ध नहीं।

बढ़ाते हुए कर राजस्व और विनिवेश आय जरिए वृद्धि करके प्राप्त किए जाने की संभावना है (सारणी 2)।


## II गैर-ऋण प्राप्तियां

### II.1ए कर राजस्व

2017-18 के बजट में कर राजस्व की वृद्धि की संभावना के चलते सकल कर राजस्व-जीडीपी अनुपात बढ़कर 11.3

प्रतिशत होने की संभावना है जो कि वर्ष 2008 से सर्वोच्च स्तर होगा। एक अन्य बहुमूल्य परिवर्तन राजस्व जुटाने में अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों पर बढ़ता विश्वास है (चार्ट 2)। 2017-18 में प्रत्यक्ष करों में तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है, इसका मुख्य कारण ₹50 लाख से ₹1 करोड़ आय वर्ग वाले व्यक्तियों पर कर देय राशि पर 10 प्रतिशत का उपकर लगाया जाना है जिससे अनुमान है कि आयकर संग्रह

चार्ट 2: प्रत्यक्ष करों पर बढ़ता विश्वास



## सारणी 3: कर संग्रह में उछाल

	औसत कर संग्रह में तेजी (2008-09 से 2016-17)	संकट के पश्चात कर संग्रह में तेजी (2010-11 से 2016-17)	2016-17 संशोधित अनुमान	2017-18 के लिए बजट में किया गया कर संग्रह में तेजी का प्रावधान
1	2	3	4	5
सकल कर राजस्व	0.97	1.19	1.48	1.17
निगम कर	0.81	0.78	0.78	0.87
आय कर	1.02	1.21	1.98	2.38
सीमा-शुल्क	0.66	1.05	0.27	1.23
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1.26	1.80	2.99	0.48
सेवा कर	1.56	1.84	1.48	1.06

राशि 24.9 प्रतिशत बढ़ सकती है। दूसरी ओर, अप्रत्यक्ष कर सामान्य गति से बढ़ने का अनुमान है जो निम्नलिखित को दर्शाते हैं (i) 2016-17 का उच्च आधार और (ii) जीएसटी के संभावित कार्यान्वयन से संभाव्य राजस्व की रूढ़िवादी लेखांकन प्रणाली। सरकार ने 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अतिरिक्त राजस्व जुटाने (एआरएम) संबंधी कोई उपाय की घोषणा नहीं की है। 2017-18 में प्रत्यक्ष करों पर अधिक जोर भी निगम और व्यक्तिगत आयकरों में अधिक वृद्धि के संबंध में भिन्न-भिन्न स्तर को दर्शाता है (सारणी 3)।

सरकार ने 2017-18 में जीएसटी के कार्यान्वयन के चलते बिक्री और सेवा करों की मौजूदा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया है। न्यूनतम आयवर्ग में व्यक्तिगत आयकर और 50 करोड़ से कम टर्नओवर रखने वाली एसएमई के लिए निगम कर में कमी जैसे उपायों से प्रयोज्य आय में

वृद्धि और कार्पोरेट पिरामिड के न्यून स्तर पर अनुपालन बढ़ने की संभावना है।

## 11.1बी गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व जिसमें पीएसई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक और स्पेक्ट्रम से होनी वाली आय शामिल है, पिछले वर्ष की तुलना में स्पेक्ट्रम निलामी प्राप्तियां कम होने के अनुमान के कारण 2017-18 में 13.7 प्रतिशत कम रहने की संभावना है। तदनुसार, दूरसंचार प्राप्तियां 2016-17 (आरई) के ₹787 बिलियन से घटकर 2017-18 (बीई) में ₹443 बिलियन रह जाने का अनुमान है।


## 11.1सी गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

2017-18 (बीई) में विनिवेश लक्ष्य 2016-17 (आरई) की तुलना में 59.3 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है (बॉक्स 2)।

## बॉक्स 2: विनिवेश कमी - अधोमुखी जोखिम

बजट में ₹725 बिलियन राशि का विनिवेश दर्शाया गया है - पीएसई में ₹465 बिलियन हितधारिता की बिक्री, रणनीतिक और अल्पांश हितधारिता में ₹150 बिलियन का विनिवेश और बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करके ₹110 बिलियन। 2016-17 (आरई) में पीएसयू हितधारिता बिक्री के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था किंतु रणनीतिक विनिवेश का लक्ष्य ₹150 बिलियन कम रह गया था। परिणामस्वरूप, वास्तविक विनिवेश बजट में किए गए अनुमान का लगभग 80 प्रतिशत ही हो पाया था (चार्ट 1)।

विनिवेश लक्ष्य पूरा न हो पाने की स्थिति में सकल राजकोषीय घाटा पर इन स्लीपेज के प्रभाव का मूल्यांकन करना विवेकसंगत है। तीन स्थितियां प्रस्तुत की गई हैं। स्थिति-1 में, छह वर्षों (2010-11 से 2015-16) के दौरान वास्तविक विनिवेश का औसत 2017-18 के परिणाम के रूप में लिया गया है। स्थिति-2 में, इन छह वर्षों के



(जारी...)

दौरान पाया गया सर्वोच्च विनिवेश को 2017-18 के लिए वास्तविक विनिवेश के रूप में माना गया है। स्थिति-3 में, इसी अवधि के दौरान बजट प्रावधान के स्तर के लिए वास्तविक का सर्वोच्च समानुपात को 2017-18 के लिए जुटाए जाने वाले समानुपात के रूप में अनुमानित है।

स्थिति-1 में जीएफडी-जीडीपी अनुपात 3.5 प्रतिशत निकलता है, अर्थात् 2017-18 के लिए बजट में निर्धारित 3.2 प्रतिशत से जीडीपी का 0.3 प्रतिशत का जीएफडी स्लीपेज है। स्थिति- 2 में जी-

एफडी-जीडीपी अनुपात बढ़कर 3.4 प्रतिशत (0.2 प्रतिशत स्लीपेज) हो गया है। स्थिति- 3 में स्लीपेज जीडीपी का 0.1 प्रतिशत है अर्थात् 3.3 प्रतिशत का जीएफडी-जीडीपी अनुपात। चूंकि, जीएसटी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कर राजस्व का अनुमान लगाने के लिए रूढ़िवादी लेखांकन प्रणाली का सहारा लिया है, इसलिए विनिवेश में कमी कर राजस्व द्वारा शायद पूरा नहीं किया जा सकता है और इससे राजकोषीय समेकन के लिए अधोमुखी जोखिम हो सकता है।

## II.2 कुल व्यय

सरकार ने योजनागत और गैर योजनागत व्यय के बीच वर्गीकरण को समाप्त करके प्रमुख सुधार-उपाय को कार्यान्वित किया है और इसे संवैधानिक रूप से अनिवार्य और वैश्विक रूप से स्वीकार्य प्रणाली अर्थात् सभी व्यय को राजस्व और पूंजी में वर्गीकरण से बदल दिया है। केंद्र सरकार के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में कम वृद्धि होने को दर्शाया गया है। राजस्व व्यय में वृद्धि पूंजीगत व्यय की तुलना में कम होने की संभावना है, राजस्व : पूंजी समानुपात 87:13 के पांच वर्षों औसत की तुलना में 86:14 रहने का अनुमान है। तथापि, 2017-18 (बीई) में, कुल व्यय मध्यावधि व्यय फ्रेमवर्क (एमटीईएफ) विवरण में किए गए अनुमान की तुलना में 2.3 प्रतिशत अधिक है।

### II.2ए राजस्व व्यय

2017-18 में राजस्व व्यय में वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रहने का अनुमान है, क्योंकि पिछले वर्ष सीपीसी VII और ओआरओपी का सिफारिशों का कार्यान्वयन किया गया था। सुधारात्मक उपायों को जारी रखने में, जीडीपी के

समानुपात के रूप में कुल सब्सिडी पर व्यय 2016-17 (आरई) की तुलना में 2017-18 में कम होने की संभावना है (सारणी 4)। सरकार ने विभिन्न सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। डीजल और पेट्रोल पर 1 जनवरी 2015 से पूरी तरह से नियंत्रण हटा लिया गया, अब पेट्रोलियम सब्सिडी केवल कैरोसीन और लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) पर दी जाती है। एलपीजी सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना का कार्यान्वयन करने के बाद सरकार ने अब कैरोसीन सब्सिडी में सुधार के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तदनुसार, जहां राज्यों को पीडीएस कैरोसीन का आबंटन व्यय प्रबंधन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 2016-17 से तर्कसंगत बना दिया गया है, वहीं, कैरोसीन के लिए डीबीटी कवरेज को बढ़ाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। जहां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने खाद्य सब्सिडी का कवरेज बढ़ा दिया और इसमें लगभग 80 करोड़ लाभार्थी हैं, वहीं सरकार का उद्देश्य है कि लीकेज को कम करके खाद्य सब्सिडी को कम किया जाए, इसके लिए छह राज्यों में उचित मूल्य दुकान का स्वाचलन और 72 प्रतिशत राशन कार्ड को आधार से जोड़ा जा रहा है। आबंटन

## सारणी 4 : कुल सब्सिडी

(₹ बिलियन)

मद	2015-16		2016-17 (बीई)		2016-17 (आरई)		2017-18 (बीई)	
	राशि	जीडीपी के तुलना में प्रतिशत	राशि	जीडीपी के तुलना में प्रतिशत	राशि	जीडीपी के तुलना में प्रतिशत	राशि	जीडीपी के तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल सब्सिडी	2,641	1.9	2,631	1.7	2,605	1.7	2,723	1.6
i. खाद्य	1,394	1.0	1,348	0.9	1,352	0.9	1,453	0.9
ii. उर्वरक	724	0.5	700	0.5	700	0.5	700	0.4
iii. पेट्रोलियम	300	0.2	290	0.2	275	0.2	250	0.1
iv. ब्याज सब्सिडी	167	0.1	190	0.1	194	0.1	232	0.1
v. अन्य सब्सिडी	55	0.0	103	0.1	84	0.1	87	0.1

की कुशलता और खाद सब्सिडी के निर्धारण को बेहतर बनाने के लिए उर्वरक विभाग ने 16 जिलों में प्रायोगिक परियोजना के जरिए संशोधित रूप में डीबीटी को कार्यान्वित करने का कार्यक्रम तैयार किया है।

### II.2बी पूंजीगत व्यय

2017-18 में पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 10.7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है जो राजस्व-पूंजी शेष को बेहतर करने की सरकार के उद्देश्य को दर्शाता है। रक्षा जिसमें बहुत अधिक विविध प्रभाव पड़ते हैं, को छोड़कर पूंजीगत परिव्यय 2017-18 (2016-17 आरई में 10.8 प्रतिशत) में 12.7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। जहां समग्र गैर-रक्षा पूंजीगत परिव्यय सामान्यतः जीडीपी का 1.1 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा। प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र (सिंचाई, ऊर्जा, रेलवे, सड़क और पुल, नागरिक विमानन, पोर्ट और लाइट हाउसेस और संचार) में पिछले कई वर्षों की तुलना में धीमी वृद्धि हुई है (चार्ट 3)।


### II.2सी योजना/गैर योजना व्यय

यूनियन बजट 2017-18 में, केंद्र सरकार ने व्यय को वर्गीकृत यथा- योजना और गैर योजना करने के लिए एक नई पद्धति शुरू की है। योजना व्यय में केंद्र क्षेत्र की योजनाओं

और केंद्रीयकृत प्रायोजित योजनाओं पर किए गए सरकारी व्यय शामिल हैं। दूसरी ओर, गैर-योजना व्यय में ब्याज-भुगतान, पेंशन, वेतन और भत्तों पर किए गए व्यय के साथ-साथ विनियामक/सांविधिक/स्वायत्त निकाय, वित्त आयोग अंतरण और राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अंतरण पर हुए व्यय शामिल हैं। योजना और गैर-योजना व्यय जो कुल व्यय का क्रमशः 44.0 प्रतिशत और 56.0 प्रतिशत होता है, 2017-18 में क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। केंद्र क्षेत्र की योजनाओं और केंद्रीयकृत प्रायोजित योजनाओं के प्रति बजटीय परिव्यय की जवाबदेही और कुशलता बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनेक मंत्रालयों/विभागों का आउटकम बजट प्रस्तुत किया है। दस्तावेज से भौतिक और वित्तीय उत्पाद/प्रदेय साथ ही मध्यावधि परिणाम सहित मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं के लिए अनुमानित परिव्यय संबद्ध हैं।

### III. राज्यों को अंतरित संसाधन

केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने के लिए चौदहवें वित्त आयोग (एफसी- XIV) की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 2016-17 (आरई) में हुई 20 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2017-18 (बीई) में 11 प्रतिशत की वृद्धि होने का



## सारणी 5: केंद्र से राज्यों को किया गया सकल और निवल अंतरण

(₹ बिलियन)

मदें	2015-16	2016-17 (बीई)	2016-17 (आरई)	2017-18 (बीई)
1	2	3	4	5
1. केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी	5,061.9	5,703.4	6,080.0	6,745.7
2. वित्त आयोग अनुदान	845.8	1,006.5	991.2	1,031.0
3. राज्यों को अन्य केंद्रीय अंतरण	2,385.7	2,543.7	2,776.5	3,034.1
ए. योजना से संबंधित अंतरण	1,950.5	1,904.4	2,013.6	2,124.7
बी. अन्य अंतरण	431.4	354.6	448.6	484.5
सी. उत्तर-पूर्वी राज्यों को अंतरण	3.8	284.7	314.2	425.0
4. विधान मंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को कुल अंतरण	51.4	53.2	55.5	40.0
5. राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को सकल अंतरण (1 से 4)	8,344.8	9,306.7	9,903.1	10,850.7
6. ऋणों और अग्रिमों की कम पुनः वसूली	115.1	94.7	91.6	95.2
7. राज्यों और संघ राज्य सरकारों को अंतरित निवल संसाधन (5-6)	8,229.7	9,212.0	9,811.5	10,755.6
सकल अंतरण / जीडीपी (प्रतिशत)	6.1	6.2	6.5	6.4
निवल अंतरण / जीडीपी (प्रतिशत)	6.0	6.1	6.4	6.4

अनुमान है (सारणी 5)। 2017-18 में सकल अंतरण जीडीपी का 0.1 कम रहने की संभावना है जबकि निवल अंतरण पिछले वर्ष के स्तर पर बने रहने का अनुमान है।

## IV. बाजार उधारियां और देयताएं

बजट में उल्लेख किया गया है कि ₹465 बिलियन की कुल उधार जरूरत में से निवल बाजार उधारियां (दिनांकित प्रतिभूतियां और 364-दिवसीय खज़ाना बिल) से 2017-18 में जीएफडी का 63.7 प्रतिशत का वित्तपोषण होगा, जबकि 2016-17 (बीई) में यह 62.8 प्रतिशत रहा था (सारणी 6)। जीडीपी के समानुपात के रूप में निवल बाजार उधार 2016-17 (बीई) के 2.2 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 2.1 प्रतिशत रखा गया है।

केंद्र सरकार की कुल देयता-जीडीपी अनुपात 2016-17 (बीई) के 48.8 प्रतिशत की तुलना में काफी घटाकर 2017-18 में 47.3 प्रतिशत रखा गया है। एफआरबीएम समीक्षा समिति 2017 ने 2022-23 तक केंद्र सरकार के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात 40 प्रतिशत रखने की सिफारिश की है। राजस्व प्राप्तियों के समानुपात के रूप में ब्याज भुगतान, जो ऋण चुकौती क्षमता का एक संकेतक है, को पिछले वर्ष से मामूली रूप से बजट में बढ़ा दिया गया है (चार्ट 4)।


<sup>5</sup> करों के विभाजित पूल में से राज्यों की हिस्सेदारी को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने के संबंध में 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

## सारणी 6: सकल राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने की पद्धति

(₹ बिलियन)

मदें	2015-16	2016-17 (आरई)	2017-18 (बीई)
1	2	3	4
सकल राजकोषीय घाटा	5327.9	5342.7	5465.3
	(100.0)	(100.0)	(100.0)
द्वारा वित्त पोषित			
निवल बाजार उधारियां*	4149.3	3357.1	3482.3
	(77.9)	(62.8)	(63.7)
अन्य तिजोरी बिल	398.1	301.4	20.0
	(7.5)	(5.6)	(0.4)
लघु बचतों के प्रति जारी की गई प्रतिभूतियां (निवल)	524.7	903.8	1001.6
	(9.8)	(16.9)	(18.3)
बाह्य मदद	127.5	148.7	157.9
	(2.4)	(2.8)	(2.9)
राज्य भविष्य निधि	118.6	130.0	140.0
	(2.2)	(2.4)	(2.6)
एनएसएसएफ	149.1	-261.0	0.0
	(2.8)	(4.9)	(0.0)
आरक्षित निधि	-33.2	-82.4	-10.4
	(-0.6)	(-1.5)	(-0.2)
जमाराशि और अग्रिम	134.7	387.0	502.1
	(2.5)	(7.2)	(9.2)
नकद शेष से आहरण	131.7	402.3	128.4
	(2.5)	(7.5)	(2.4)
अन्य	-372.5	56.0	43.4
	(-7.0)	(1.0)	(0.8)

\*इसमें दिनांकित प्रतिभूतियां और 364 दिवसीय तिजोरी बिल शामिल हैं, जहां प्रतिभूतियों की अदला-बदली के निवल प्रभाव को शामिल किया गया है।  
टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जीएफडी की तुलना में प्रतिशत दर्शाते हैं।



### V. समग्र मूल्यांकन

यूनियन बजट 2017-18 में किसानों और ग्रामीण पर अधिक ध्यान दिया गया है, साथ ही, इसमें सामाजिक और भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की वित्त जरूरत का समाधान करने की भी कोशिश की गई, फिर भी, 2017-18 के लिए निर्धारित जीएफडी लक्ष्य को आगे एक वर्ष बढ़ा देने से राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता के प्रति चिंता पैदा हो गई है। अनुमानित कर राजस्व वास्तविक प्रतीत होता है और रूढ़िवादी लेखांकन प्रणाली पर आधारित है। तथापि, विनिवेश प्राप्तियों पर भरोसा अधोमुखी जोखिम वाला बना रहना जारी है। इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, यूनियन बजट में रेलवे बजट का विलय होने से रेलवे, राजपथ, देशी जलमार्ग और पूर्ण परिवहन प्रणाली के लिए एकीकृत योजना के बीच बहु-मॉडल परिवहन की योजना बनाने में सहूलियत होगी। इस संबंध में, राजस्व व्यय में कमी और

इन्फ्रास्ट्रक्चर गतिविधि पर जोर देने से भावी संवृद्धि का संकेत मिलता है।

बजट में बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए भी व्यापक प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इसमें अनेक इनपुट और कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क और/अथवा प्रतिकारी शुल्क कम/समाप्त करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है ताकि लागत कम हो सके और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। वैश्विक बाजार में निर्यात की संभावना वाले केमिकल्स, पेट्रॉ-केमिकल्स और चमड़ा जैसे क्षेत्रों को कम उत्पादन लागत का लाभ मिलना चाहिए। इससे दीर्घावधि में वैश्विक मूल्य शृंखला में भारत की सहभागिता के संकेत मिलते हैं। अंततः एफआईपीबी संकेतों को समाप्त करने से एफडीआई अनुमोदन के लिए प्रक्रियागत औपचारिकताएं कम हो सकती हैं जिससे कारोबार सहजता के संबंध में भारत की रैंकिंग में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

सारणी 1: बजट एक नज़र में						
( ₹ बिलियन)						
मर्दें	2015-16 (लेखा)	2016-17 (बजट अनुमान)	2016-17 (संशोधित अनुमान)	2017-18 (बजट अनुमान)	घटबढ़ (%)	
					कालम 2 की तुलना में कालम 4	कालम 4 की तुलना में कालम 5
1	2	3	4	5	6	7
1. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	11,950.3	13,770.2	14,235.6	15,157.7	19.1	6.5
i) कर राजस्व (निवल केंद्र को)	9,437.7	10,541.0	10,887.9	12,270.1	15.4	12.7
ii) गैर कर राजस्व	2,512.6	3,229.2	3,347.7	2,887.6	33.2	-13.7
जिसमें से						
ब्याज प्राप्तियां	253.8	296.2	181.5	190.2	-28.5	4.8
2. पूंजीगत प्राप्तियां	5,957.5	6,010.4	5,908.5	6,309.6	-0.8	6.8
जिसमें से						
i) निवल बाज़ार उधारियां *	4,149.31	4,251.8	3,357.09	3,482.26	-19.1	3.7
ii) ऋण की वसूली	208.4	106.3	110.7	119.3	-46.9	7.8
iii) विविध पूंजी प्राप्तियां	421.3	565.0	455.0	725.0	8.0	59.3
3. कुल प्राप्तियां (1+2)	17,907.8	19,780.6	20,144.1	21,467.4	12.5	6.6
4. राजस्व व्यय	15,377.6	17,310.4	17,345.6	18,369.3	12.8	5.9
5. पूंजीगत व्यय	2,530.2	2,470.2	2,798.5	3,098.0	10.6	10.7
6. योजना के अलावा व्यय	10,656.7	11,760.9	11,445.6	12,016.6	7.4	5.0
जिसमें से						
i) ब्याज भुगतान	4,416.6	4,926.7	4,830.7	5,230.8	9.4	8.3
ii) रक्षा	2,259.0	2,491.0	2,480.1	2,623.9	9.8	5.8
iii) प्रमुख सव्मिडी	2,418.3	2,338.3	2,327.0	2,403.4	-3.8	3.3
7. योजना व्यय	7,251.1	8,019.7	8,698.5	9,450.8	20.0	8.6
8. कुल व्यय (4+5)=(6+7)	17,907.8	19,780.6	20,144.1	21,467.4	12.5	6.6
9. राजस्व घाटा (4-1)	3,427.4	3,540.2	3,110.0	3,211.6	-9.3	3.3
	(2.5)	(2.3)	(2.0)	(1.9)		
10. प्रभावी राजस्व घाटा	2,109.8	1,871.8	1,395.3	1,258.1	-33.9	-9.8
	(1.5)	(1.2)	(0.9)	(0.7)		
11. सकल राजकोषीय घाटा [8-(1+2ii+2iii)]	5,327.9	5,339.0	5,342.7	5,465.3	0.3	2.3
	(3.9)	(3.5)	(3.5)	(3.2)		
12. सकल प्राथमिक घाटा (11-6i)	911.3	412.3	512.1	234.5	-43.8	-54.2
	(0.7)	(0.3)	(0.3)	(0.1)		

नोट: 1) पूंजीगत प्राप्तियां चुकौती को घटाने के बाद हैं और इनमें नकदी शेष का आहरण द्वारा कमी शामिल हैं।  
 2) \* प्रतिभूतियों के स्विचिंग आफ के प्रभाव को संज्ञान में लेते हुए दिनांकित प्रतिभूतियां और 364 दिवसीय खज़ाना बिल शामिल हैं।  
 3) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत : भारत सरकार का 2017-18 का बजट दस्तावेज़।